

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 28 □ अंक - 114 □ राठपुर, सोमवार 19 मई 2025 □ पृष्ठ - 8 □ मूल्य - 2.50 रुपये □ राठपुर, □ जयदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की भूमिका पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए : सचिन पायलट

राठपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी और से पड़े गए सवाल के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी कहा कि केंद्र सरकार को सारी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी चाहिए, कांग्रेस सहित देश के सभी दलों ने आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार समर्थन किया है, पहलगाय आतंकी हमले के बाद जो कार्रवाई सेना के माध्यम से हुई वह गौरवपूर्ण है, देश की जता हट मोर्चे पर जाकर लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, सेना के साथ पूरा देश एकजुट था, लेकिन अनाधिक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को और से यह जानकारी पहले दी जाती है कि सचिनपायलट हो गया है? सवाल यह है कि भारत और पाक के बीच अमेरिका की भूमिका क्या रही है? क्या टैप ने कोई मध्यस्थता की है? क्या वाकई न्याय का डंडा दोनों देशों को दिलाया गया? आखिर हुआ क्या-क्या इसका जवाब तो देना ही चाहिए, सीलियल तो हम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, विशेष सत्र आहूत कर सरकार को आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान आगे सीक्रेटरीयार का उद्घेन नहीं करेगा, पाक से आतंकी हमले नहीं होंगे, आतंकवाद को मदद पाक से नहीं मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हरकतों को लेकर सदैव हमेशा बना



कांग्रेस आतंकवाद ही या नक्सलवाद हर मोर्चे पर सरकार के साथ खड़ी है

रहेगा, देश इस उम्मीद में है कि आगे किसी भी तरह कोई आतंकी हमला नहीं होगा यह धरोरा सरकार सीधे तौर पर दिलाता चाहिए, पायलट ने यह तमाग बातें राठपुर में दिवंगत दिनेश मिराण्या के परिवारों से मुलाकात के बाद भीड़िया से चर्चा में कही।

वहीं सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद हो या नक्सलवाद हर मोर्चे पर सरकार के साथ खड़ी है, तेलंगाना सरकार का समर्थन छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिलने का बात खूबी है, तेलंगाना राज्य भी नक्सलवाद से लड़ रहा है, नक्सलवाद की समस्या पूरी

तरह से समाप्त होनी चाहिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तो राईस पाटी ने सर्वाधिक शहादतें दी हैं, हमने अपने बड़े नेताओं को खोया है, बस हम यही चाहते हैं कि कोई निरीय आदिवासी न मारा जाए इसका ध्यान रखें।

सचिन पायलट ने कहा कि देश में आज संविधान को बचाना भी जरूरी हो गया है, देश के भीतर आज संविधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हो रहे हैं, संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों असमवाद अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि देश भर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा, लेकिन पहलगाय आतंकी हमले के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ के जाजौर में आयोजित रैली से हम इसकी शुरुआत प्रदेश में करने जा रहे हैं, पहलगाय आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिराण्या को ब्रदॉजिल देने सचिन पायलट सप्ताह कालीनी दिवस मिराण्या निवास पहुंचे, राठपुर एयरपोर्ट से सीधे शाम 6.15 को पायलट मिराण्या निवास पहुंचे, उनके साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएन सिंहदेव, प्रशा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैरा सहित अन्य नेता भी रहे, पायलट ने दिवंगत दिनेश के परिवारों से मुलाकात अपनी ब्रदॉजिल अर्पित की।

कर्मल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए एमपी के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

जांच के लिए एसआईटी गठित की

नई दिल्ली, 19 मई (न्यू चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्मल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री को माफी की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।



मंत्री शाह ने दो बार माफी मांगी, पर नहीं बनी बात

कोर्ट ने आगे कहा, आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके सीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारियों को रखा गया है। इनमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। यह तीनों ही अफसर एक मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्मल सोफिया

कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेगी। कर्मल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान ने तुल पकड़ा तो मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से दो बार माफी मांगी। मंत्री ने कहा- उनके दिए बयान से किसी की

भावनाएं आहत हुईं हों तो वे दिल से क्षमायात्री हैं। सोफिया कुरैशी ने देश के प्रति अपना कृत्य निभाया है और उनका योगदान जाति, धर्म या समुदाय से परे है। वह उन्हें हमें आपके सीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारियों को रखा गया है। इनमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। यह तीनों ही अफसर एक मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्मल सोफिया

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को समान और पूरी पेंशन देने का आदेश

इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त जजों की पूरी और समान पेंशन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की एंटी और कार्यकाल के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों के जजों के साथ इस बात के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता कि वे कब सेवानिवृत्त हुए और कब उन्हें बार से न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त जज, चाहे वो किसी भी तारीख में नियुक्त हुए हों पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के. जयचंद्रन को पीट ने अपने आदेश में कहा कि भारत सरकार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को सालाना 15 लाख रुपये की पूरी पेंशन का भुगतान करना होगा।

ब्रेकिंग न्यूज

जूनियर इंडिया हॉकी टीम में एन का दो खिलाड़ी का चयन

नई दिल्ली, 19 मई (न्यू चैनल)। अजेंटीना के रोसारीयो में 25 मई से 2 जून तक होने वाले जूनियर फोरे पेंशन हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ की अंशिया साह और गीता यादव का चयन किया गया है। दोनों खिलाड़ियों का चयन बेंगलूर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के बाद किया गया, यह टूर्नामेंट आगामी जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप (दिसंबर 2025) की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है, अंशिया साह पिछले चार वर्षों से जूनियर इंडिया टीम की सदस्य रही हैं, जबकि गीता यादव दो वर्षों से टीम का हिस्सा हैं, टूर्नामेंट में भारत के अलावा अजेंटीना, उरुग्वे और चिली की टीमें हिस्सा लेंगी।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेटे कैसर

नई दिल्ली, 19 मई (न्यू चैनल)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक आक्रामक कैंसर का प्रोस्टेटे कैसर होने की पुष्टि हुई है। बाइडेन की उम्र 82 साल है। पिछले हफ्ते उन्हें पेशाब से जुड़ी कुछ समस्याएं हुईं, जिसके बाद जांच में यह बीमारी सामने आई। रविवार को उनके प्रवक्ता केरी ब्लैकले ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, कैसर एक खतरनाक कैंसर है जो हड्डी को तोड़ सकता है। बाइडेन को प्रोस्टेटे कैसर का निदान हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह है कि कैसर शुरुआती-संज्ञित है, यानी यह हार्मोनो ट्रेटमेंट से काबू में लाया जा सकता है। यह रिकॉर्ड प्रोस्टेटे कैसर की गंभीरता को बताते वाला एक प्रमुख मेडिकल मापदंड है।

बांग्लादेश की अभिनेत्री जुसरात फारिया का गिरफ्तार

नई दिल्ली, 19 मई (न्यू चैनल)। बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस को एक हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें ढाका एयरपोर्ट पर अपनी हथकड़ी में बांध लिया। एक्ट्रेस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला जुलाई, 2024 का है, जब ढाका में सरकारी बिल्डिंग स्ट्रुक्चर प्रोटेस्ट हुए थे। उसी दौरान नुसरत फारिया समेत कई लोगों पर एक छत्र की हत्या की कोशिश का आरोप लगा था। फारिया समेत 17 अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।



चूहा- सुनती हो, बरसात को देखते हुए राज्य सरकार गरीबों को एकमुश्त तीन माह का राशन देने वाली है। तुलिया- हां जी, बरसात का आनंद बहुत अच्छा रहेगा...!

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी गोयल को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 19 मई (न्यू चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि उसके यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुनील गोयल को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कोलकाता स्थित एक कंपनी से जुड़े 6,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन के आरोप में कार्रवाई की गई है।



गोयल को कर्नलकाट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच के मामले में 16 मई को यहां उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। संशोधन जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्हें 17 मई को कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम

(पीएलएनए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 21 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इस जांच के तहत ईडी ने अंश में गोयल और कुछ अन्य के परिवारों पर छापे मारे थे। धन शोधन का यह मामला सीएसपीएल को ज्ञात सुविधाएं स्वीकृत करने और उसके बाद 6,210.72 करोड़ रुपये (ज्यादा के बिना पूर्ण गिरा) के ज्ञात को बड़े पैमाने पर धनवर्त और हेफेन करने से संबंधित सीबीआई की प्रार्थनाओं से उत्पन्न हुआ है। ईडी ने दावा किया है कि यूको बैंक के सीएमडी के रूप में गोयल के कार्यकाल के दौरान, सीएसपीएल को बड़ी ज्ञात सुविधाएं स्वीकृत की गईं। जिन्हें बाद में उत्पन्नकत समूह को और से डायरेक्ट और हस्तान्तरित कर दिया गया।

ट्रेन से हो रही थी एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी अंतरराज्यीय गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। ट्रेन के जरिए छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी करने वाले बड़े अंतरराज्यीय गिरोह के 8 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का बयान मिला था कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन के जरिए एमडीएमए ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। जिसके बाद तीन दिनों तक चली पुलिस की कार्रवाई में कुल 8 आरोपियों को एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है।



गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नशे की सीढ़ियों पर कार्रवाई करते हुए कुल 15 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स को जप्त किया है। पुलिस ने दिल्ली के बड़े ड्रग्स सप्लायर को भी अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक उत्कल एक्सप्रेस से समर कर रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरे केंद्र के अन्य आरोपियों का पता चला। मामले को जानकारी देते हुए बिलासपुर के

एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली से एक राखड़ा उत्कल एक्सप्रेस के जरिए एमडीएमए ड्रग्स को छेप लेकर आ रहा है। जैसे ही ट्रेन उमरगार रेलवे स्टेशन पर रुकी। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और तो उसने अपना नाम प्रदीप कुमार बताया। आरोपी के पास एक पर्सल बगलवत हुआ जो उसे दिल्ली के रहने वाले शुभम ने दिया। जिसके बाद पुलिस ने ड्रग्स को जप्त कर दिल्ली में शुभम को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली कि शुभम

वाराणसी होते हुए बिलासपुर आ रहा है, पुलिस टीम ने उसका पीछा किया गया। और रतनपुर के पास चेकिंग पॉइंट लगाकर शुभम को एक कार से पकड़ा। इस कार में तीन अन्य लोग भी सवार थे। जिन्होंने अपना नाम सुमित, रिशे और राजू बताया। कार की तलाशी में भी एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुआ। इस बीच पुलिस को निजवारी मिली कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक व्यक्ति एमडीएमए ड्रग्स लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन पर भी संविधान ब्यक्ति हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान विवेक कुमार, निवासी जिला करौली (राजस्थान) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 3 ग्राम एमडीएमए जप्त किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उरकुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण



राठपुर, 19 मई (हाईवे चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का वरुअल लोकार्पण करेंगे, इस अवसर पर देशभर के कई स्टेशनों का लोकार्पण प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ के आंबिकापुर और राठपुर से संकेत उरकुरा स्टेशन भी शामिल हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ रेलवे प्रशासन की ओर से जब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित उरकुरा रेलवे स्टेशन को पहले और अब की तस्वीरें साझा की हैं, पोस्ट में बताया गया है कि उरकुरा स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें नया स्टेशन भवन, विशाल स्कूलिंग एरिया और पार्क, नया वैटिंग कम, बड़ी पार्किंग व्यवस्था और आधुनिक शौचालय शामिल हैं।

कृषकों के बचत खाते से 1 करोड़ 31 लाख रुपए की हेराफेरी, सहायक प्रबंधक और कर्मचारी गिरफ्तार

दुर्ग, 19 मई (हाईवे चैनल)। धाना पुरानी मिलाई पुलिस ने कृषकों के बचत खाता से 1 करोड़ 31 लाख ११ हजार २६३ रुपए की हेराफेरी करने वाले सहायक प्रबंधक और कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सेवा सहकारी समिति ग्राम सोमनी का मामला है।

प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं अतिरिक्त कर्मचारियों के विरुद्ध धाना पुरानी मिलाई में अपराध पंजीबद्ध था। आरोपियों द्वारा कृषकों के खाते में रकम जमा न कर स्वयं द्वारा उपयोग किया गया था। कृषकों के पासबुक में एंटी किया जाता था किंतु लेजर में एंटी नहीं करते थे। आरोपियों द्वारा कुछ कृषकों के फ़ास डिवाइज को भी तोड़कर रकम का स्वयं उपयोग किया गया था।



पुलिस के मुताबिक सेवा सहकारी समिति ग्राम सोमनी के कृषकों के खाता में हेराफेरी कर प्रबंधक नीति दीवान, सहायक प्रबंधक नरसिंह शिर्के, अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा के द्वारा राशि १०३,११,२६३-रुपये (अक्षरी एक करोड़ तीन लाख

रुपये) का गबन किए जाने के संबंध में प्राथमिक सुनिश्चि बचत खाता सहकारी-केंद्रीय बचत पुरानी मिलाई के शाखा प्रबंधक की लिखित आवेदन पर धाना पुरानी मिलाई में अपराध क्रमांक ५७०/२४, धारा ४२०, ४०६, ४०८, ४०९, ३४ भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि आरोपियों द्वारा कृषकों के रकम उनके खाता में जमा न कर स्वयं द्वारा उपयोग किया जाता था इस हेतु कृषकों द्वारा लाई गई पासबुक में रकम की एंटी करे वापस कर देते थे किंतु बैंक के लेजर में इसकी एंटी नहीं करते थे, और न ही लेजर में एंटी नहीं करते थे। आरोपियों द्वारा कुछ कृषकों के फ़ास डिवाइज तोड़कर आरोपियों द्वारा रकम अपने पास रखा गया। कृषकों के खाता में हेराफेरी कर राशि गबन करने में सहित आरोपी गजानन शिर्के एवं गोपाल वर्मा को हिरासत में लेकर पुराछाह करने पर अपराध क्रांति करना स्वीकार किये हैं। आरोपियों ने जमानत शर्तें एवं गोपाल वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रियाई पर भेजा गया है।